सत्यमेव जयते

दावा क्रमांक :

निःशुल्क

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

प्ररूप-ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिये दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, २००८

[अधिनियम की धारा ३(१) (झ) और नियम ११(१) और (४-क) देखिए.]

१. ग्राम / ग्राम सभा :

२. ग्राम पंचायत :

३. तहसील / तालुका :

४. जिला :

५. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्ने करें). दावा करने के लिए जनजातियों / अन्य परम्परागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है। हम, इस ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा ३(१) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारम्परिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि या चिन्ह चारागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारम्परिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारम्परिक रूप से संरक्षित, पुनरूज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है).

६. खसरा / कम्पार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :

७. सीमा से लगते हुए ग्राम :

(i)

(ii)

(iii)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बंटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी).

८. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम १३ देखिए)

दावेदार (दावेदारों) का / के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

नोट. – अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम २०१२ में अधिसूचना क्रमांक जीएसआर नं. ६६९(अ), ६ सितम्बर २०१२ द्वारा नियम ६(ट) में अंतःस्थापित किया गया.